

**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक:राजपत्रित/सी.पी.एस./2018/05

दिनांक 01.08.2018

—:आदेश:—

सी.पी.एस.मुम्बई द्वारा वर्ष 2017 हेतु प्रेषित चयन सुची में चयनित चिकित्सकों द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर राज्य सरकार में निहित आरक्षण एवं रोस्टर अनुसार सेवारत/ गैर सेवारत चिकित्सकों की सुची (विशिष्टता मय आवंटित चिकित्सालय) सी.पी.एस. मुम्बई की वेबसाईट पर दिनांक 01.08.2018 को जारी की गई है ।

उक्त सुची अनुसार निम्नलिखित गैर सेवारत /सेवारत चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशिष्टता एवं आवंटित चिकित्सालयों में 02 वर्षिय डिप्लोमा कोर्स एवं 03 वर्षिय फ़ैलोशिप कोर्स करवाया जाना है, ऐसे में गैर सेवारत चिकित्सक सीधे ही व सेवारत चिकित्सको को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार कार्यमुक्त हो कर आवंटित चिकित्सालय के अधीक्षक/पी.एम.ओ. /प्रभारी अधिकारी को मय मूल दस्तावेजो सहित अपनी उपस्थिती दिनांक **02.08.2018 से 09.08.2018** तक दिया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

गैर सेवारत चिकित्सकों की सुची

क्र. सं.	चयनित चिकित्सक का नाम	जन्म दिनांक	आवंटित विशिष्टता	आवंटित चिकित्सालय का नाम
1	Dr.RAKESH KUMAR	02.09.1984	DMRE	DH ALWAR
2	Dr.SUNITA	17.05.1988	FCPS (CH)	JAIPURIA HOSPITAL ,JAIPUR
3	Dr.DHEERAJ BANSAL	26.06.1989	FCPS (MED)	JAIPURIA HOSPITAL ,JAIPUR
4	Dr. KULDEEP SINGH	01.07.1984	FCPS (MID-GY)	JAIPURIA HOSPITAL ,JAIPUR
5	Dr. NIDHI SANWALKA	29.12.1987	FCPS (MED)	JAIPURIA HOSPITAL ,JAIPUR
6	Dr. PRASHANT BHARADWAJ	26.09.1973	FCPS (SURG)	JAIPURIA HOSPITAL ,JAIPUR
7	Dr. RAHUL PARMAR	30.12.1992	DMRE	DH BHILWARA
8	Dr. NAMITA SHUKLA	15.02.1986	DGO	DH BHARATPUR
9	Dr. THUMMAR AKTABEN ASHOKBHAI	25.06.1992	DDV	DH BHARATPUR
10	Dr. ANISH AHAMAD	17.09.1990	D ORTHO	DH ALWAR
11	Dr.SOURABH MEHTA	15.09.1985	DMRE	DH PALI
12	Dr. SANDEEP KUMAR	10.11.1986	DMRE	DH PAWTA, JODHPUR
13	Dr. SACHIN KUMAR PRABHUDAS PATEL	07.12.1986	DDV	DH DAUSA
14	Dr.SHEEBA	07.07.1990	DGO	DH ALWAR
15	Dr.SADRE ALAM	10.03.1985	DCH	DH ALWAR
16	Dr.MODESARA KHANJAN ATULKUMAR	27.10.1990	DGO	DH PAWTA, JODHPUR

01.08.18

17	Dr. SUDARSHAN KUMAR ARYA	09.11.1982	D ORTHO	DH CHURU
18	Dr. SHUMAILA ANSARI	26.06.1980	DCH	DH SWAIMADHOPUR
19	Dr. RACHIT KAPOOR	12.12.1985	DCH	DH PAWTA, JODHPUR
20	Dr. MANEY NAGPAL	02.06.1992	DGO	DH KOTPUTALI, JAIPUR
21	Dr. SHIVANI MATHUR	26.01.1983	FCPS (ANAE)	JAIPURIA HOSPITAL, JAIPUR
22	Dr. MUSLIM MUZAHID HURAIRHA FANI	30.06.1990	D ORTHO	DH CHITTORGARH
23	Dr. TRAPTA GUPTA	11.12.1984	DDV	DH CHURU
24	Dr. SMRITI RAJ	26.08.1988	DCH	DH BHARATPUR

सेवारत चिकित्सकों की सुची

क्र. सं.	चयनित चिकित्सक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	जन्म दिनांक	आवंटित विशिष्टता	आवंटित चिकित्सालय का नाम
1	Dr. RAMESH KUMAR	D.HOSPITAL, SHRIGANGANAGAR	20.01.1988	FCPS (MED)	JAIPURIA HOSPITAL, JAIPUR
2	Dr. LAXMI NARAYAN SHARMA	PHC GHAAD, TONK	24.01.1991	DMRE	DH CHURU
3	Dr. MANISHA CHOUDHARY	CHC HINDOLI, BUNDI	27.11.1982	DGO	DH PALI
4	Dr. MUKESH CHAND GUPTA	CHC SRIMAHAVIRJI, KARAULI	24.06.1981	DMRE	DH DAUSA
5	Dr. MURLI DHAR SHARMA	SUSPENDED, HQ DMHS, JAIPUR	02.07.1984	FCPS (MED)	JAIPURIA HOSPITAL, JAIPUR
6	Dr. AMIT KUMAR	PHC NOKHACHANDAVT, NAGOUR	15.11.1984	FCPS (MED)	JAIPURIA HOSPITAL, JAIPUR
7	Dr. RAMESH CHAND	CHC PALASARA, SIKAR	02.10.1983	DDV	DH AJMER
8	Dr. SUBHITA	CHC RANASAR, JHUNJHUNU	04.02.1988	FCPS (MID-GY)	JAIPURIA HOSPITAL, JAIPUR
9	Dr. NIKITA KUMAWAT	PHC SIWAD, SAWAIMADHOPUR	08.11.1992	DDV	DH SHRIGANGANAGAR
10	Dr. RAVI KUMAWAT	PHC CHAVANDIA, NAGOUR PRESENTLY WORKING AT PHC CHITHWARI, JAIPUR	04.11.1985	DDV	DH SIKAR
11	Dr. ANKIT GUPTA	SMS HOSPITAL JAIPUR	19.11.1984	DMRE	SDH KISANGHAR, AJMER
12	Dr. SHEELU SHARMA	CHC GHATIAWALI, CHITTORGARH	09.03.1986	DGO	DH CHITTORGARH
13	Dr. BRAHMJEET	PHC KAARAU, ALWAR	11.04.1985	DDV	DH ALWAR
14	Dr. JODHA RAM	PHC SHIVKAR, BARMER	20.01.1984	FCPS (SUR)	JAIPURIA HOSPITAL, JAIPUR

20.8.18

15	Dr. PREM CHAND MALAKAR	CHC GAGWANA, AJMER	25.11.1979	DCH	SDH KISANGHAR, AJMER
16	Dr. KAILASH JOSHI	CHC FALODI, JODHPUR	19.05.1988	DGO	DH SIKAR
17	Dr. BABLU PRASHAD SHARMA	PHC MAHANDIPUR BALAJI, KARALI	10.08.1980	DCH	DH BHARATPUR
18	Dr. PRAGYA GAUTAM	CDISSP. TALVANDI, KOTA	17.01.1982	DDV	DH BARAN
19	Dr. MUKESH KUMAR NAGAR	CHC KHANPUR, JHALWAR	10.02.1977	DCH	DH BARAN
20	Dr. JUNJHA RAM	CHC DHANAU, BARMAR	28.02.1985	DDV	DH BARMER
21	Dr. PRADEEP KUMAR	PHC BAHNERA, BHARATPUR PRESENTLY WORKING AS BCMO CHECHAT, KOTA	19.04.1984	DCH	DH BUNDI
22	Dr. AVNEESH SHARMA	CHC RAJGARH, ALWAR	05.12.1984	DGM	DH ALWAR
23	Dr. SUBHASH RATHI	CHC SABALA, DUNGARPUR	25.02.1990	FCPS (CH)	JAIPURIA HOSPITAL, JAIPUR
24	Dr. MOHAMMED ARIF KHAN	PHC DHANKOLI, NAGOUR	02.07.1990	DORTHO	DH SIKAR
25	Dr. NITESH JANGIR	BCMO CHIDAVA, JHUNJHUNU	06.01.1985	DCH	DH SIKAR
26	Dr. INDRAJEET SINGH NARUKA	PHC BIWAI, DOUSA	29.04.1988	DDV	DH BANSWARA
27	Dr. NARENDRA BAJYA	PHC KHAJVANA, NAGOUR	01.07.1981	DGM	DH PALI
28	Dr. RAWAT KAMALENDER SINGH	SUSPENDED, HQ DMHS, JAIPUR	19.06.1987	DGO	DH BANSWARA
29	Dr. ASHOK KUMAR PATIDAR	PHC BHALATA, JHALAWAR	25.08.1988	DCH	DH BHILWARA
30	Dr. JAGDISH PRASAD YADAV	CHC SIKRI, BHARATPUR	07.04.1983	DCH	DH ALWAR

उक्त बैच विधिवत रूप से दिनांक 10.08.2018 से प्रारम्भ होगा।

संलग्न :- बन्ध-पत्र

10.8.18

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वा.सेवायें
राजस्थान, जयपुर।


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं एमडी एनएचएम राजस्थान जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक (प.क. / ई.एस.आई./एड्स/एम.एस.यू./सीफू), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल कॉलेज, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
12. डिप्टी सेक्रेट्री, सी.पी.एस., मुम्बई।
13. समस्त प्रिंसिपल/अधीक्षक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारियों को प्रेषित कर लेख/निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में चयनित चिकित्सकों को उपरोक्तानुसार कार्यमुक्त करें/कार्यग्रहण करावें तथा कार्यग्रहण कराते वक्त सभी चिकित्सकों से निर्धारित प्रारूप में **बन्ध-पत्र** आवश्यक रूप से प्राप्त करे तथा गैर सेवारत चिकित्सकों को विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 149 दिनांक 20.02.2018 के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)/चि.स्वा./गुप-2/2014 दिनांक 04.10.2014 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत **आवश्यक तदर्थ आधार** (Urgent Temporary Basis) पर चयन कराया जाना सुनिश्चित करे एवं गैर सेवारत चिकित्सकों के मूल दस्तावेज जांच कर छायाप्रति प्राप्त करें।
14. समस्त प्रिंसिपल/अधीक्षक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारियों को प्रेषित कर लेख/निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में चयनित चिकित्सकों

20/8/18

को कार्यग्रहण करवाते समय जारी विभागीय आदेश दिनांक 01.08.2018 / सी. पी.एस. मुम्बई द्वारा उनकी वेबसाईट पर जारी चयन सूची व चिकित्सको द्वारा सी.पी.एस. मुम्बई को जमा कराई गई निर्धारित फीस की रसीद कि प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेवे ।

15. सभी सेवारत/गैर सेवारत चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है विभाग द्वारा जारी TOR के बिन्दु "After completing the mandatory training called diploma / fellowship, candidates has to clear the final examination (Theory & Practical) conducted by CPS and on successful completion of Diploma / Fellowship shall be issued by CPS Mumbai to Director (PH) & would be awarded by Director (PH) to students after completion of 03 year service in Govt. institution of Rajasthan." & also I would not claim for any increment , promotion or any kind of preferential treatment or any kind of financial benefit related to CPS Diploma/Fellowship after completing the course के तहत बन्धीत रहें तथा कार्यग्रहण के समय इस आशय का बंध-पत्र निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से नियन्त्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
16. गैर सेवारत चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय आवश्यक रूप से राजस्थान मेडिकल कॉलेज, राजस्थान जयपुर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी को प्रस्तुत करें जिसके अभाव में उनका चयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।
17. सेवारत चिकित्सकों की सूची में क्रम संख्या 15 डॉ. प्रेम चन्द मालाकार जो पूर्व में पी.जी. कर चुके है वे विभाग द्वारा दिनांक 16.07.2018 जारी विकल्प पत्र के क्रम में स्वयं द्वारा दी गई सहमती से बन्धित रहेंगे तथा अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे ।
18. सेवारत चिकित्सकों की सूची में क्रम संख्या 19 डॉ. मुकेश कुमार नागर जो वर्तमान में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे है वे विभाग द्वारा मांगे गये विकल्प के क्रम में स्वयं द्वारा दी गई सहमती से बन्धित रहेंगे।
19. सेवारत चिकित्सको की सूची में क्रम संख्या 5 डॉ. मुरलीधर शर्मा तथा क्रम.सं. 28 पर डॉ. रावत कमलेन्दर सिंह हॉल दोनो निलम्बित, विभाग द्वारा सी.पी.एस. कोर्स करने हेतु जारी की गई एन.ओ.सी.में उल्लेखित शर्तों से बन्धित रहेंगे।
20. प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं सभी संबन्धित को ई-मेल द्वारा भिजवाने का श्रम करावें।
21. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वा.सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

-:बन्ध पत्र:-

**IN-SERVICE / NON-SERVICE DOCTORS BOND FOR PROCEEDING ON
CPS MUMBAI DIPLOMA / FELLOWSHIP COURSE 2017**

(TO BE FURNISHED ON RS. 100/- NON-JUDICIAL STAMP PAPER)

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT
I..... D/o, S/o.....resident
of.....in the
District ofat present employed as
.....in the office of (FOR IN-
SERVICE DOCTROS) do
hereby bind myself and my heirs, executors and administrators that I adhere to the
boundation to the point in TOR dated 30-03-2016 that "After completing the
mandatory training called diploma / fellowship, candidates has to clear the final
examination (Theory & Practical) conducted by CPS and on successful completion of
Diploma / Fellowship shall be issued by CPS Mumbai to Director (PH) & would be
awarded by Director (PH) to students after completion of 03 year service in Govt.
institution of Rajasthan."& would not claim for diploma/ fellowship before
completion of 3 year service in Govt. Institution of Rajasthan & also I would not
claim for any increment , promotion or any kind of preferential treatment or any kind
of financial benefit related to CPS Diploma/Fellowship after completing the course.

Dated this.....day ofTwo Thousand Seventeen WHEREAS
the above bounden is selected for CPS MUMBAI
DIPLOMA / FELLOWSHIP COURSE for doctors by Government of Rajasthan.

Signed and delivered by the above bounden in the
presence of:-

1.....

2.....

ATTESTED BY NOTARY PUBLIC/GAZETTED OFFICER

ACCEPTED BY CONTROLLING OFFICER

For and on behalf of the Governor of Rajasthan

A 02/8/18